

टी.सी.

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ०प्र० लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 8 अगस्त, 2023

विषय- ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व निर्मित पेयजलापूर्ति की परियोजनाओं एवं जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्मित की जा रही परियोजनाओं के हैण्डओवर/टेकओवर, उनके अनुरक्षण व हैण्डपम्पों के संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1896/33-3-2022-1028/2022 टी.सी. दिनांक 11.11.2022 एवं शासनादेश संख्या-604/33-3-2022 दिनांक 31.03.2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व निर्मित पेयजलापूर्ति की परियोजनाओं एवं जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्मित की जा रही परियोजनाओं के हैण्डओवर/टेकओवर, उनके अनुरक्षण व हैण्डपम्पों के संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2- ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु ग्रामीण पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव पंचायतीराज विभाग द्वारा किया जाना आवश्यक है। साथ ही प्रदेश में स्थित सभी हैण्डपम्पों का सुचारू रूप से संचालन एवं रख-रखाव का ऑनलाइन मॉनीटरिंग व्यवस्था भी पंचायतीराज विभाग द्वारा किया जाना है। उक्त कार्यों में विलम्ब स्वीकार्य नहीं है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित शासनादेशों में दिए गए निर्देशों के आलोक में प्रकरण में अद्यतन प्रगति/कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्त की साप्ताहिक समीक्षा कर प्रगति रिपोर्ट से शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,



(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:— तदैव।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं०), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम।
8. श्री अभिषेक दत्ता, स्टेट कन्सल्टेंट, ग्रामीण जलापूर्ति प्रकोष्ठ, पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव।